

पीठासीन अधिकारी – सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरु
अपील संख्या 14 सन् 2021
न्यायालय जिला कलक्टर, चूरु (राजस्थान)
निर्णय दिनांक 10.03.2022
हरिओम पारीक निवासी वार्ड नं. 47 सरदारशहर जिला चूरु

लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर

बनाम

– प्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1), सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

– अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलांत के अनुसार दिनांक 26.02.2021 को लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर को एक आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत पेश किया। निर्धारित समयावधि में लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर द्वारा प्रार्थी अपीलांत को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। इस कारण प्रार्थी अपीलांत ने प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपीलांत व रेस्पोंडेन्ट की तल्बी की गई।


लोक सूचना अधिकारी, (एस.डी.एम.) सरदारशहर से दिनांक 07.03.2022 को अपील के संबंध में प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ की आवेदक द्वारा चाही गई सूचना के बिन्दु सं. 3, 4, 6, 7 व 8 की सूचना कार्यालय सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सरदारशहर से संबंधित होने के कारण आवेदन को दिनांक 04.03.2021 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सरदारशहर को हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा अन्य बिन्दुओं की सूचना दिनांक 31.03.2021 को आवेदक को उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान अपीलांत व रेस्पोंडेन्ट दोनों अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त प्रत्युत्तर पर मनन किया गया। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी अपीलांत के आवेदन के बिन्दु सं. 3, 4, 6, 7 व 8 की सूचना कार्यालय सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सरदारशहर से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 6(3) के तहत अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका सरदारशहर को हस्तान्तरित तो कर दिया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा हस्तान्तरण भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों अनुसार नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सरदारशहर से संकलित कर अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे तथा भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों को, जिनमें हस्तान्तरण किया जाना उचित हो, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में ही करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर,
चूरु